निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
180/2017	15.6.2017	1.8.2019

पप्पू पुत्र किशनलाल, माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी पप्पू पुत्र किशनलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 319 रकबा 2.10 है0 ग्राम छावा में मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी की 1/5 हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। भूमि ख0नं0 318 रकबा 0.71 है0, ख0नं0 320 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 321 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम छावा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/10 हिस्सा है। इस भूमि पर प्रार्थी काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन करता चला आ रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पू पुत्र किशनलाल है व इसी नाम से प्रार्थी को पहचाना जाता है। प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैरसरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र किशनलाल ही दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश ख0नं0 319 की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम पप्पू की जगह हरिराम अंकित कर दिया है व इसी प्रकार भूमि ख0नं0 318, 320, 321, 322, 323 ग्राम छावा में भी प्रार्थी का नाम हरिराम अंकित किया हुआ है साथ ही प्रार्थी को नाबालिग भी अंकित किया हुआ है जबकि प्रार्थी के पिता किशनलाल के हरिराम नाम का कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थीगण को इस गलत इन्द्राज की जानकारी पूर्व में नहीं रही है। जमाबंदी की नकल लेने पर ही प्रार्थी को गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम हरिराम के स्थान पर पप्पू संशोधित किया जावे तथा प्रार्थी अब बालिग हो चुका है इस कारण नाबालिग का इन्द्राज भी हटाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070, 2071 से 2074, फोटोकोपी निर्वाचक पहचान पत्र, फोटोकोपी बैंक पासबुक, फोटोकोपी नरेगा जोबकार्ड, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी राशनकार्ड, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश उपजिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 29.1.2017 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/18/3037 दि0 18.1.19 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया। भूमि ख0नं0 318, 320, 321, 322 एवं भूमि ख0नं0 319 ग्राम छावा की जमाबंदी में किलाण हरीराम पि0 किशनलाल हिस्सा 1/5 दर्ज है। प्रार्थी इस जमाबंदी में दर्ज हरीराम के स्थान पप्पू नाम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं उनमें प्रार्थी का नाम पप्पू दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.1.19 के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी ने भी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिराम के स्थान पर पप्पू दर्ज करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी अब बालिग भी हो चुका है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम छावा की जमाबंदी सं0 2067 से 2070 के खाता संख्या 5 में दर्ज भूमि ख0नं0 318, 320, 321, 322, 323 में दर्ज प्रविष्टि "हरीराम नाबा0 पि0 किशनलाल सरपरस्त माता काली बेवा किशनलाल समभाग हि0 1/5" के स्थान पर "पप्पू पि0 किशनलाल समभाग हि0 1/5" तथा ग्राम छावा की जमाबंदी सं0 2071 से 2074 में दर्ज भूमि ख0नं0 319 में दर्ज प्रविष्टि किशन पुत्र गोरया हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर प्रविष्टि "हरीराम पि0 किशनलाल हि0 1/5" के स्थान पर "पप्पू पि0 किशनलाल हि0 1/5" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.18 16:26:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: